भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3591
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत बनाना

3591. श्री सौमेंदु अधिकारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डिजिटल केस प्रबंधन और ऑनलाइन सेवाओं सहित ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की स्थिति और राज्यों के साथ उक्त योजना के वित्त-साझेदारी पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मामला प्रबंधन, एआई के उपयोग, सार्वजनिक कानूनी शिक्षा और नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र के लिए सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने हेतु पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ई-न्यायालय परियोजना, चरण-III के लिए 7210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, देश भर में ई-न्यायालय प्रणाली को मजबूत करने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है। इस पहल के अधीन, न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करने और विभिन्न पणधारियों, जैसे वकीलों, वादकारियों, न्यायाधीशों और अन्य के लिए सेवाओं को डिजिटाइज़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

डिजिटल मामला प्रबंध प्रणाली के अधीन, ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) को वकीलों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है, जिससे वे 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच और अपलोड कर सकें शुल्क आदि के परेशानी मुक्त हस्तांतरण के लिए ई-पेमेंट प्रणाली शुरू किया गया है प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया की सेवा और सम्मन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, न्यायपीठ द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक निर्णय खोज पोर्टल शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक आसान और परेशानी मुक्त पहुंच की सुविधा के लिए, पूरे भारत में 1610 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए हैं। यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में 28 वर्चुअल न्यायालय काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय सेवाओं के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल, बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र), इन्फो कियोस्क, वकीलों/वादियों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (अब तक 2.87 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप (अब तक 21,105 डाउनलोड) के माध्यम से वकीलों / वादियों को मामले की स्थिति, कारण सूची, निर्णय आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अधिक वस्तुनिष्ठता, निरंतरता, पारदर्शिता और गति लाने के लिए, देश भर में जिला और तालुका अदालतों में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कृतिम आसूचना (एआई), और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरण केस प्रबंधन में तैनात किए जा रहे हैं। संविधान पीठ के मामलों में मौखिक तर्कों के लिप्यंतरण में उनका उपयोग किया जा रहा है। एआई की सहायता से लिखित तर्कों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी, मद्रास के सहयोग से दोषों, डेटा, मेटा डेटा निष्कर्षण के इलाज के लिए एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) उपकरणों के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है।

यह एआई और एमएल आधारित टूल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अर्थात् इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रणाली (आईसीएमाईएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों का अनुपूरण करती रही है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों नामक पांच घटकों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विहित निधि भागीदारी अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वकील के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, योजना की शुरूआत से लेकर वर्ष 1993-94 में अब तक 11,885.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 28.02.2025 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 22,062 न्यायालय हॉल और 19,775 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। अन्य में, 3,206 न्यायालय हॉल और 2,639 आवासीय इकाइयां वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

व्यय विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार, सीएसएस के अंतर्गत निधियों की भागेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में लागू होती है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के दो हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां 90 :10 का अनुपात लागू होता है। संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निधि भगीदारी अपेक्षा के बिना 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

****